

~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव (पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 55/2023

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नारणाराम पुत्र विरधाराम जाति कुम्हार, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. जगूराम पुत्र टीकमाराम 2. पोकरराम पुत्र लूणाराम 3. रूपाराम पुत्र लूणाराम 4. धर्मीदेवी पत्नी बालाराम 5. पपीयादेवी पत्नी निम्बाराम जाति कुम्हार, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक, भाडखा 7. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत।

2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 :- नरेन्द्रसिंह सियाग।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 02.08.2024

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार होने से विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तैयार किया गया है, जिसमें रुबरु मौतबिरान एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक और तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव के ग्राम निम्बला के खेत खसरा नम्बर 599/226 रकबा 46.5873 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
01	नारणाराम पुत्र विरधाराम कौम कुम्हार सा. देह रहन RMGB शाखा भाडखा	निम्बला	599/226	8.7466	बा.सो.	-	लाल
			599/226	6.7825			
			2	15.5291			
02	पोकरराम पुत्र लूणाराम 1/6 रूपाराम पुत्र लूणाराम 1/6 धर्मीदेवी पत्नी बालाराम 1/3 पपीयादेवी पत्नी निम्बाराम 1/3 कौम कुम्हार सा. देह	निम्बला	599/226	9.0892	बा.सो.	-	हरा
			599/226	6.4399			
			2	15.5291			
03	जगूराम पुत्र टीकमाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	निम्बला	599/226	14.4931	बा.सो.	-	नीला
			599/226	1.0360			
			2	15.5291			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

21
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव

21
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव